न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	जी.सी.एम.एस.	निर्णय दिनांक
12/70/2021	08-10-2021	2021/135	09-09-2022

01–जगनलाल उर्फ जगदीश पुत्र सूरजभान जाति माली निवासी ग्राम रामपुर तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

अपीलाण्ट

बनाम

01– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर दिनांक 23.02.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 38/2018

उपस्थित–

01– श्री राजेश कुमार गुप्ता –वकील अपीलाण्ट
01– श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 23.02.2018 प्रकरण संख्या 38/2018 जिसके द्वारा सम्वत 2074 में अपीलान्ट को ग्राम रामपुर तहसील बानसूर जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 1391 रकबा 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन नला में सरसो की फसल काश्त किये जाने पर मौके से बेदखली/पैनल्टी कायम किये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलाण्ट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम रामपुर तहसील बानसूर जिला अलवर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1391 रकबा 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन नला की भूमि खातेदार की आराजी खसरा न0 1416 से लगती हुई है, अपीलान्ट द्वारा अपनी स्वयं की आराजी मे काश्त की हुई है, किसी भी राजकीय भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया है। तहत अदालत के समक्ष पटवारी हल्का रामपुर द्वारा अपीलान्ट व उसके भाई बोबदराम को आराजी खसरा न0 1391 किस्म गैर मुमकिन नला की 0.05 है0 भूमि पर अतिक्रमण करना बताया गया है, जो कि रकबे का बहुत ही छोटा हिस्सा है। उपरोक्त अतिक्रमण बाबत पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार की पैमाईश नही की गयी है। अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी एवं राजकीय भूमि की कोई पैमाईश नही की गयी है। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है, न ही आलोच्य आदेश जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस प्राप्त हुआ है। आलोच्य आदेश एकतरफा मे पारित किया गया है। तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 23.02.2018 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 18.07.2018 को उस समय हुई जब पटवारी हल्का द्वारा धमकी दी गयी कि अपीलान्ट के विरूद्ध तहसीलदार बानसूर के यहां कार्यवाही करवाते हुए आदेश जारी किये गये है, जिस पर अपीलान्ट ने आलोच्य आदेश की प्रति वास्ते नियमानुसार आवेदन कर दिनाक 24.07.2018 को सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की गई। आलोच्य आदेश दिनाक 23.02.2018 से सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 18.07.2018 तक का समय एवं उसके पश्चात दिनाक 24.07.2018 तक का समय एवं उसके पश्चात दिनाक 24.10.2018 तक अपील पेश करने के समय को कन्डोन फरमाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद करार दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद का पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 23.02.2018 को अपास्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा नम्बर 1391 रकबा 0.05 हैo किस्म गैर मुमकिन नला जो प्रकरण में वर्णित आराजी की किस्म गैर नला है, जो भारत सरकार की अधिसूचना 07.05.1992 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की क्षेणी में आती है। उक्त भूमि पर अतिकमण किये जाने का कोई अधिकार नही है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2018 न्यायोचित प्रकियानुसार है, अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2018 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 26.10.2018 को पेश की गयी है, जो करीब 8 माह बाद पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2018 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 18.07.2018 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि ग्राम रामपुर तहसील बानसूर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1391 रकबा 0.05 हैo किस्म गैर मुमकिन नला की भूमि खातेदार की आराजी खसरा नo 1416 से लगती हुई है, अपीलान्ट द्वारा अपनी स्वयं की आराजी में काश्त की हुई है, किसी भी राजकीय भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया है। पटवारी हल्का रामपुर द्वारा अपीलान्ट व उसके भाई बोवडराम को आराजी खसरा नo 1391 किस्म गैर मुनकिन नला की 0.05 हैo भूमि पर अतिकमण करना बताया गया है, जो कि रकबे का बहुत ही छोटा हिस्सा है। उपरोक्त अतिकमण बाबत पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार की पैमाईश नही की गयी है। अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी एवं राजकीय भूमि की कोई पैमाईश नही की गई है। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है न ही आलोच्य आदेश जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस प्राप्त हुआ है। आलोच्य आदेश एकतरफा में पारित किया गया है। **तहत अदालत की पत्रावली** का अवलोकन किया गया पटवारी हल्का द्वारा अतिकमी के विरूद्ध धारा 91 भूo राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 1391 रकबा 0.05 हैo किस्म गैर मुमकिन नला की भूमि पर सरसों की फसल काश्त कर अतिकमण किये जाने पर रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही कर दिनाक 23.02.2018 को निर्णय पारित कर अतिकमी के विरूद्ध मौके से बेदखली / पैनल्टी कायम की गई है। तहत अदालत की पत्रावली में शामिल पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनाक 19.12.2018 में अंकित किया है, कि अतिकमी जगनलाल एवं जगदीश पुत्र सूरजभान के द्वारा आराजी खसरा नo

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

1396 रकवा 0.29 में से 0.03 है0 किस्म गैर मुमकिन नला में अतिक्रमण किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनाक 27.04.2022 में अंकित किया है, कि जगदीश, वोवडराम पिसरान सूरजभान के खातेदारी आराजी खसरा न0 1391 रकवा 0.25 है0 से लगते हुऐ आराजी खसरा न0 1396 रकवा 0.29 किस्म गैर मुमकिन नला की भूमि पर अतिक्रमण नही होने का उल्लेख किया है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 ग्राम रामपुर में आराजी खसरा न0 1391 रकवा 0.25 किस्म चाही उत्तम सह खातेदारी की आराजी है। तहत अदालत द्वारा आराजी खसरा न0 1391 पर अतिक्रमण मानते हुए निर्णय पारित किया गया है, जवकि आराजी खसरा न0 1391 सहखातेदारी की आराजी है। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है, कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं तहसीलदार वानसूर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 23.02.2018 में आराजी खसरा न0 में विरोधाभाष है। प्रकरण रिमाण्ड योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.02.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार वानसूर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है, कि विवादित आराजी की जाँव कर पुनः विधिवत कार्यवाही करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्वर से कम की जावें। पत्रावली वाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09-09-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)